

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या
15/55/19

प्रवेश तिथि
24-09-2019

निर्णय दिनांक
15-10-2019

1- DCB BANK LIMITED Having its Branch Office at: 7/56, 'A' Set House, 3rd Floor, Desh Bandhu Gupta Road, Karol Bagh, NEW DELHI-110005.

THROUGH :

Sh. Mayank Dutt Chaudhary, AUTHOHRISED OFFICER

प्रार्थी

—:बनाम :-

1- M/S KALKA HOME DEVELOPERS PVT. LTD, Having its Registered Office At: RZ-17B, Gali No. 16, Tuglakabad Extension, New Delhi-110019.

Corporate Office At:

505/506, ILD Mall, Sohna Road, Sector-49, Gurugram-122001, Haryana

And At:

KALKA THE PEARL

Khasra No. 387, Village Kalka, Tehsil Tijara, Bhiwadi-301019, District Alwar Rajasthan.

2- Mr. Keshav Kumar, Director, RZ-17B, Gali No. 16, Tuglakabad Extension, New Delhi-110019.

And At:

Khasra No. 387 Village Kalka, Tehsil Tijara, Bhiwadi-301019, District Alwar, Rajasthan

And Also At:

505/506, ILD Mall, Sohna Road, Sector-49, Gurugram-122001, Haryana

And At:

B-4058, Green Field Colony, Faridabad-121003, Haryana

3- Mr. Yogesh Kumar, Director, RZ-17B, Gali No. 16, Tuglakabad Extension, New Delhi-110019.

And At:

Khasra No. 387 Village Kalka, Tehsil Tijara, Bhiwadi-301019, District Alwar, Rajasthan

And Also At:

505/506, ILD Mall, Sohna Road, Sector-49, Gurugram-122001, Haryana

And At:

H. No. 613, Sector-37, Faridabad-121003, Haryana.

4- M/S Yogesh Aggarwal, Director, RZ-17B, Gali No. 16, Tuglakabad Extension, New Delhi-110019.

Also At:

Khasra No. 387, Village Kalka, Tehsil Tijara, Bhiwadi-301019, District Alwar, Rajasthan.

And At:

505/506, ILD Mall, Sohna Road, Sector-49, Gurugram-122001, Haryana
Sector-49, Gurugram-122001, Haryana.

And Also At:

A-1546, Green Field Colony, Faridabad-121003, Haryana.

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

5- M/S Deepak Mangla, Director, RZ-17B, Gali No. 16, Tuglakabad Extension, New Delhi-110019.

Also At:

Khasra No. 387, Village Kalka, Tehsil Tijara, Bhiwadi-301019, District Alwar, Rajasthan.

And At:

505/506, ILD Mall, Sohna Road, Sector-49, Gurugram-122001, Haryana
Sector-49, Gurugram-122001, Haryana.

And Also At:

H. No. 770, Sector-2AA,

अप्रार्थी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002


—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति **Khasra No. 387, Village Kalka, Tehsil Tijara, Bhiwadi, District Alwar, Rajasthan ad-measuring 31 Acre (12582.73 Sq Meters) Alongwith All Existing Structures Upon It.** है को रहन रखा गया था। अप्रार्थीगण द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है। प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :-

1-रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.-आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।


निर्णय कलक्टर
अलवर (राजग)

निर्णय प्रति तहसीलदार तिजारा-जिला अलवर को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15-10-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(इन्द्रजीत सिंह)
जिला सिविल जज, अलवर
अलवर (राज.)